



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 अग्रहायण, 1942 (श०)

संख्या- 613 राँची, शुक्रवार,

04 दिसम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

12 नवम्बर, 2020

संख्या-5 /आरोप-1-467/2014-11365 (HRMS)-- श्रीमती साधना जयपुरियार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-मेदिनीनगर), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरुद्ध उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार के पत्रांक-737, दिनांक 12.11.2013 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं :-

आरोप सं0-1- ग्राम पंचायत बंधुआ, जुंगूर, जान्हों, पल्हेया एवं डोकी में प्रति 125 एकड़ कुल 500 एकड़ में वृक्षारोपण मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानुसार कराना था, जिसके विरुद्ध बंधुवा-4, जुंगूर-6, जान्हों -5.75 एकड़ में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है तथा पल्हेया एवं डोकी में वृक्षारोपण का कार्य कराया ही नहीं गया है। योजना स्थल पर सूचनापट्ट नहीं लगाया गया है तथा प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण के बाद 3 वर्ष तक रख-रखाव सुनिश्चित नहीं कर कार्यान्वयन कराने में कोताही, लापरवाही बरती गयी है।

आरोप सं0-2- तत्संबंधी योजना अभिलेख अपने स्थानान्तरण के साथ तथ्य छिपाने के उद्देश्य से गायब करने का आरोप बनता है, जिसके कारण जाँच पदाधिकारी को जाँच करने में कठिनाई हुई है, जो कि अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के जाँच से स्वतः स्पष्ट होता है।

आरोप सं0-3- योजना से संबंधित मस्टर रॉल, अभिश्रव, मापीपुस्त का संधारण संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं रहना, कार्यों के प्रति कोताही, लापरवाही, उदासीनता को दर्शाता है।

आरोप सं0-4- पंचायत मटलौंग के ग्राम माईल एवं पंचायत दुन्दु के बिचलीदाग योजना सं0-48/07-08 में बिना पूर्व अग्रिम समायोजन के दिनांक 22.09.08 को 3,75,000/- (तीन लाख पचहत्तर हजार) रुपये एवं दिनांक 25.10.08 को 2,00,000/- (दो लाख) रुपये एवं जान्हों पंचायत का परहियाटोला (योजना सं0-26/07-08) में दिनांक 13.12.07 को 1,13,160/- (एक लाख तेरह हजार एक सौ साठ) रुपये एवं बंधुआ ग्राम (योजना सं0- 27/07-08) में दिनांक 13.12.07 को 3,06,580/- (तीन लाख छः हजार पाँच सौ अस्सी) रुपये का अग्रिम दिया गया है। पुनः अग्रिम देकर सरकारी राशि के दुरुपयोग/अनियमितता का आरोप बनता है।

आरोप सं0-5- तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-2254 दिनांक 18.12.07 के मनरेगा अंतर्गत जेट्रोफा पौधा रोपण के संबंध में 8 बिन्दुओं पर कार्यान्वयन का निदेश का अनुपालन करने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया गया। तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-98 दिनांक 18.01.08 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में योजनावार प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। इसी प्रकार, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-346 दिनांक 07.03.08, उक्त पत्रांक-2254 दिनांक 18.12.07 एवं पत्रांक-98 दिनांक 18.01.08 के द्वारा दिये गये पत्र का प्रतिवेदन अप्राप्त होने के कारण स्मार पत्र दिया गया, के द्वारा वर्णित कथित पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन की माँग की गयी थी, परंतु उपलब्ध नहीं कराया गया, कार्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता तथा आदेशों के अनदेखी करने एवं अनुशासनहीनता का आरोप बनता है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1734, दिनांक 21.02.2014 द्वारा श्रीमती जयपुरियार से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्रीमती जयपुरियार द्वारा अपने पत्र, दिनांक 04.03.2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इनके स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3426, दिनांक 10.03.2014 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1206/स्था0, दिनांक 23.06.2016 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद प्रतिवेदित किया गया।

श्रीमती जयपुरियार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लातेहार से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-7429, दिनांक 27.08.2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्रीमती जयपुरियार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-05, दिनांक 09.01.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। श्रीमती जयपुरियार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्ताव दण्ड पर विभागीय पत्रांक-8751, दिनांक 03.12.2018 द्वारा श्रीमती जयपुरियार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्रीमती जयपुरियार द्वारा पत्रांक-561, दिनांक 15.12.2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया।

श्रीमती जयपुरियार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा कोई नया तथ्य उल्लेखित नहीं किया गया। समीक्षोपरांत, श्रीमती जयपुरियार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प सं0-1759, दिनांक 15.04.2019 द्वारा इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्रीमती जयपुरियार के पत्रांक-771, दिनांक 18.07.2019 द्वारा माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-2158/रा0स0, दिनांक 26.08.2019 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्रीमती जयपुरियार द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया- (क) संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को विश्वसनीय एवं प्रमाणित नहीं माना गया है। (ख) गलत तथ्यों पर गठित एवं अप्रमाणित आरोपों के आधार पर दण्ड अधिरोपण न्यायसम्मत नहीं है।

श्रीमती जयपुरियार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि-

(क) संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-346, दिनांक 07.03.2018 में योजनाओं के अभिलेख की छायाप्रति के अवलोकनोपरान्त कई त्रुटियों का उल्लेख किया गया है। उन त्रुटियों के निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन नहीं दिया जाना उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना तो है ही जेट्रोफा वृक्षारोपण योजना में बरती गई अनियमितता का भी संकेत करता है। यदि आरोपी के द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई थी तो उन्हें उक्त पत्रों के आलोक में स्पष्ट प्रतिवेदन भेजना चाहिए था तथा वरीय पदाधिकारी से मिलकर सारी स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए थी। ऐसा उनके द्वारा नहीं किया गया, जिससे योजना में बरती गई अनियमितता के लिए आरोपी भी संदेह के घेरे में आती हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि संबंधित योजनाओं के अभिलेख उपलब्ध नहीं थे, इसलिए भी संचालन पदाधिकारी द्वारा कई आरोपों के संबंध में स्पष्ट मंतव्य नहीं दिया गया। अतः उक्त आधार पर आरोपी पदाधिकारी का कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

(ख) आरोपी पदाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण संबंधी योजना सं0-26/2007-08 एवं 27/2007-08 में राशि का भुगतान किया गया है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दिनांक 26.09.2010 को स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में झारखण्ड विकास मोर्चा, धनबाद द्वारा 375 एकड़ भूमि के विरुद्ध 15.5 एकड़ भूमि में जेट्रोफा वृक्षारोपण तथा ग्राम विकास समिति, चंदवा द्वारा 62.5 एकड़ भूमि के विरुद्ध मात्र 5.5 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने की सूचना प्रेषित की गई है एवं उक्त अनियमितता के आलोक में मनिका थाना कांड सं0-75/2010, दिनांक 06.11.2010 एवं मनिका थाना कांड सं0-76/2010, दिनांक 09.11.2010 दर्ज किया गया, जिसमें श्रीमती जयपुरियार को प्राथमिकी अभ्युक्त बनाया गया है। अनुसंधानोपरांत उक्त मामले में श्री अनिल कुमार एवं श्रीमती जयपुरियार

दोनों तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका के विरुद्ध विधि विभाग, झारखण्ड के आदेश सं0-152/जे0, दिनांक 16.10.2019 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः आरोपी का कथन मान्य नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती जयपुरियार द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावत् रखा जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SADHANA JAIPURIAR 20060400060	श्रीमती साधना जयपुरियार, झा0प्र0से0, (पंचम बैच गृह जिला-मेदिनीनगर) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरोध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड यथावत् रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
